न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 142/2024
वादीया :- पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी रावली की पोल ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोशणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः-वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**- 27/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजस्व ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 3.2845 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 529 रकबा 0.3721 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 654 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 रकबा 0.4854 हैक्टेयर खसरा संख्या 665 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 679 रकबा 0.2103 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/90 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1052 रकबा 0.3802 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/648 व० हिस्सा, खसरा संख्या 959/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/18 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1063 रकबा 1.7232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1064 रकबा 1.4238 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1050 रकबा 1.9578 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1397/1052 रकबा 0. 7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 3.8670 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1056 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1059 रकबा 1.3429 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.5501 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1060 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 528 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 0.2832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 670 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684 रकबा 0.1618 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीया के पति विक्रमसिंह के नाम दर्ज थी तथा विक्रमसिंह फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2188 द्वारा स्व. विक्रमसिंह के वारिसान वादीया, पुत्रियों आयशा राठौड़ व अनन्या राठौड़ का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में वादीया का नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पूनम कंवर दर्ज किया तथा फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी वादीया का नाम पूनम कंवर दर्ज किया गया। जबकि वादीयाा का सही नाम पूर्ण कुंवर है, जिसके सम्बंध में वादीया के सरकारीधनिजी दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, माइग्रेशन एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, बैंक डायरी यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर की नकले वाद पत्र के साथ पेश है, जिसमें वादीया का सही नाम पूर्ण कुंवर दर्ज है। वादीया का राजस्व रेकर्ड

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जमाबन्दी में वादीया के सरकारीधनिजी दस्तावेज के अनुसार सही नाम दर्ज नहीं होने से वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रही है। इसलिए वादीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया के दर्ज अशुद्ध नाम पूनम कंवर के स्थान पर उसके सरकारीध निजी दस्तावेज के अनुसार सही नाम पूर्ण कुंवर शुद्धध्दुरुस्त किंये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीया के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में वादीया के दर्ज अशुद्ध नाम पूनम कंवर के स्थान पर वादीया का सही नाम पूर्ण कुंवर शुद्धध्दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज सहखातेदार को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादीया द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है तथा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करने पर उनके हक व अधिकार प्रभावित होने की संभावना नहीं है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीया के पति विक्रमसिंह फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2188 दर्ज करते समय वादीया का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पूनम कंवर दर्ज करने, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पूनम कंवर दर्ज चला आने से, जिसकी जानकारी वादीया को होने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी को वादीया के अशुद्ध नाम पूनम कंवर के स्थान पर सही नाम पूर्ण कुंवर शुद्ध/दुरुस्त किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा वादीया के निवेदन को अस्वीकार करने पर व इस हेतु श्रीमान सक्षम होने के कारण वादकारण बमुकाम् ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 3.2845 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 529 रकबा 0.3721 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 654 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 रकबा 0.4854 हेक्टेयर खसरा संख्या 665 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675 रकबा 0. 3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 679 रकबा 0.2103 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/90 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1052 रकबा 0.3802 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/648 व० हिस्सा, खसरा संख्या 959/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/18 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1063 रकबा 1.7232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1064 रकबा 1.4238 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1050 रकबा 1.9578 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1397/1052 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 3.8670 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1056 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1059 रकबा 1.3429 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 वीं हिस्सा, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.5501 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा, खसरा संख्या 1060 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 528 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 0.2832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 670 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684 रकबा 0.1618 हैक्टेयर जिसमें वादीया का 1/720 व० हिस्सा जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज है तथा चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज वादीया का अशुद्ध नाम

सहायक कलक्टर
एवं ... अधिकारी
बिलाड़ा

पूनम कंवर के स्थान पर सही/शुद्ध नाम पूर्ण कुंवर शुद्ध /दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद सं. 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि में वादिया का निहित हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादिया के पति विक्रमसिंह के नाम दर्ज थी। वादिया का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम जरिये विरासत नामा. सं. 2188 के जरिये पूनमकंवर दर्ज हुआ। जो सही नहीं है। वादिया का नाम सही नाम पूर्णकंवर है। वादिया द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, टी.सी. इत्यादि में अपना नाम पूर्णकंवर होना बताया। वादिया अपना नाम पूनमकंवर के स्थान पर पूर्णकंवर करवाना चाहती है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में वादिया के हिस्से में अशुद्ध नाम पूनमकंवर के स्थान पर पूर्णकंवर किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीया की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पूर्ण कुंवर पत्नी स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत का पेश किया गया।

वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी का पैनकार्ड, प्रदर्श 2 वादीया का आधार कार्ड, प्रदर्श 3 वादीया के परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 4 वादीया के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 5 म्यूटेशन सं. 2188 ग्राम उदलियावास की ई प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रम सिह, प्रदर्श 2 जनआधार कार्ड पूर्ण कुंवर, प्रदर्श 3 पैनकार्ड पूर्ण कुंवर, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड पूर्ण कुंवर, प्रदर्श 5 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का माइग्रेशन व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पूर्ण कुंवर, प्रदर्श 6 यूको बैंक की डायरी पूर्ण कुंवर, प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र विक्रम सिह आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीया के सरकारी दस्तावेजात में वादीया का नाम पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रम सिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम पूनम कंवर पत्नी विक्रमसिंह के नाम से दर्ज है। वादीया अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीया के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रमसिंह की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाम शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 3.2845 हैक्टेयर, खसरा संख्या 529 रकबा 0.3721 हैक्टेयर , खसरा संख्या 654 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 679 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1052 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1059/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1063 रकबा 1.7232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1064 रकबा 1.4238 हैक्टेयर, खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1050 रकबा 1.9578 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1397/1052 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 3.8670 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1056 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1059 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1060 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 528 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 0.2832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 670 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684 रकबा 0.1618 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूनम कंवर पत्नी विक्रमसिंह के स्थान पर पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी

पूर्ण कुंवर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 142/2024

निर्णय **दिनांक :-** 27/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 3.2845 हैक्टेयर, खसरा संख्या 529 रकबा 0.3721 हैक्टेयर , खसरा संख्या 654 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा संख्या 679 रकबा 0. 2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1052 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा संख्या 959/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1063 रकबा 1.7232 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1064 रकबा 1.4238 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1050 रकबा 1.9578 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1397/1052 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 3. 8670 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1056 रकबा 1.3672 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1059 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1060 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 528 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 0.2832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 670 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684 रकबा 0.1618 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूनम कंवर पत्नी विक्रमसिंह के स्थान पर पूर्ण कुंवर पत्नी विक्रमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/1/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना		
			वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा